भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 78

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

वेतन फिटमेंट फैक्टर और मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी

78. **श्री रवि प्रकाश वर्माः**

श्री नीरज शेखरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मध्य स्तरीय और निचले पायदान पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.81 करने का विचार रखती है जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पहले ही क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार महानगरों में मूल वेतन की 24 प्रतिशत धनराशि में किराए पर आवास न मिलने की समस्या को देखते हुए मौजूदा 24 प्रतिशत एच आर ए जैसा कि छठे वेतन आयोग में था, को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) से (ग): 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट गुणांक 2.57 है जो सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य है। चूंकि यह 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट और सुविचारित सिफारिशों पर आधारित हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन परिकल्पित नहीं है।

(घ) से (च): सरकार ने 6 जुलाई, 2017 के संकल्प के द्वारा यह निर्णय लिया कि जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाएगा तो एक्स, वाई और जेड शहरों में मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 27%, 18% और 9% हो जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो एक्स, वाई और जेड शहरों में यह मूल वेतन का 30%, 20% और 10% हो जाएगा।

*****